उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

पत्रांक 69 /यू0ओ0यू0/अनुरक्षण/2025–26 दिनांक 15 अप्रैल, 2026

दर प्राप्ति हेतु कोटेशन सूचना

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में परीक्षा कार्यों/अकादमिक/प्रशासनिक गतिविधियों के लिए समय–समय पर होने वाली छोटे टैक्सी वाहन की आवश्यकता के दृष्टिगत दर प्राप्ति के लिए कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

योग्य, अनुभवी एवं इच्छुक आपूर्तिकर्ता संलग्न कोटेशन प्रारूप में अपनी दरें अंकित करते हुए सीलबंद लिफाफे, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से 'छोटे टैक्सी वाहन हेतु कोटेशन' लिखा हो, में रखते हुए दिनांक 25/04/26 समय अपरान्ह् 03:00 बजे तक अपने पत्रवाहक या स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (कार्यालय पता– तीनपानी बाईपास रोड, हल्द्वानी, नैनीताल) में जमा कर सकते है। उक्त तिथि के उपरांत व अन्य कोई भी माध्यम से दरें किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगीं।

संलग्न–प्रारूप

(सूर्य प्रताप सिंह)
अध्यक्ष, केन्द्रीय क्रय समिति

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0।
- प्रभारी, आई.सी.टी., उ0मु0वि0वि0 को वेबसाईट पर प्रचार–प्रसार हेतु।
- सहायक कुलसचिव (क्रय), उ0मु0वि0वि0।
- गार्ड फाइल, उ0मु0वि0वि0।

(सूर्य प्रताप सिंह)
अध्यक्ष, केन्द्रीय क्रय समिति

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में परीक्षा कार्यों व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किराये पर व्यावसायिक टैक्सी वाहन लेने हेतु दर प्राप्ति निमित्त कोटेशन प्रारूप

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	दर प्रति किलोमीटर, जी.एस.टी. छोड़कर (रूपये में)	प्रति रात्रि विश्राम (रूपये में)	प्रतिदिन भुगतान हेतु न्यूनतम यात्रा दूरी, यदि प्रतिदिन वास्तविक यात्रा न्यूनतम दूरी से कम हो तो (किमी0 में)
01	स्वीफ्ट कार/ऑरा कार/अल्टो कार या समकक्ष (वैध लाईसेंस धारक वाहन चालक सहित)			

नोटः—उक्त कोटेशन सूचना दरों की जानकारी हेतु जारी किया गया है, फर्म सुनिश्चित कर ले कि केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने मात्र से कार्यादेश को कोई भी दावा बिना विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय को किसी भी या सभी कोटेशन को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने करने का पूर्ण अधिकार होगा।

नियम व शर्तें—

1—सेवाप्रदाता का मुख्य/क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदेश में होना अनिवार्य है, ताकि आवश्यकतानुसार त्वरित सेवा प्राप्त की जा सके।

2—सेवाप्रदाता के पास कम से कम स्वामित्वाधीन/अनुबंधित एक वैध व्यावसायिक टैक्सी वाहन (केवल पेट्रॉल व डीजल युक्त) होना अनिवार्य है।

3—सेवाप्रदाता के पास कम से कम शासकीय/शासकीय अनुदानित संस्थाओं में व्यावसायिक वाहन सेवा देने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इसकी पुष्टि हेतु सुसंगत प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। कोटेशन दरों का मूल्यांकन दर प्रति किमी0 के आधार पर प्राप्त न्यूनतम दर पर किया जायेगा।

4—विश्वविद्यालय एक समय में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक वाहनों की मांग 24×7 अवधि में किसी भी समय कर सकता है। अतः फर्म सुनिश्चित कर ले वह विश्वविद्यालय की मांगो को निर्धारित समयानुसार पूर्ण कर सके। यदि विश्वविद्यालय द्वारा फर्म के द्वारा प्रस्तुत दरों पर चयन कर लिया जाता है एवं अनुबंध अवधि में संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह चयनित फर्म के विरूद्ध दण्डित करने, जुर्माना लगाने व फर्म प्रतिबंधित करने आदि जैसी कार्रवाई करेगी।

5—किराये का भुगतान उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्राप्त दरों पर कार्य की संतोषजनक पुष्टि उपरांत ही किया जायेगा। अन्यथा भुगतान में कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त सेवाप्रदाता को टोल टैक्स/चुंगी का भुगतान वास्तविक पर्ची प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

6—सेवाप्रदाता के पास वैध जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है।

7—किराये पर लिये जाने वाले सभी वाहनो (चालक सहित) का अनुरक्षण अथवा रखरखाव पूर्णतः सेवाप्रदाता द्वारा किया जायेगा। इसका कोई भी भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

8—चयनित फर्म को विश्वविद्यालय के साथ अधिप्राप्ति नियमों के अनुरूप अधिकतम मूल्य रूपये 05.00 लाख की सीमा तक अनुबंध गठित करना अनिवार्य होगा। अनुबंध में इसके अतिरिक्त शासकीय हित में प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप अन्य सुसंगत शर्तें भी निर्धारित की जा सकेगी।

9—वाहनों का उपयोग परीक्षा कार्यों/अकादमिक/प्रशासनिक गतिविधियों के लिए प्रदेश के भीतर या प्रदेश से बाहर किसी भी स्थान पर सामग्री ले जाने या लाने सहित किया जायेगा।

फर्म स्वामी का नाम व हस्ताक्षर

फर्म का नाम

फर्म का पता

फर्म का संम्पर्क नम्बर

फर्म की ई—मेल आईडी

फर्म की मुहर, यदि हो तो

फर्म का जी0एस0टी0 नं0